Sita Mata WLS

15

आज्ञा से,
मुन्नी लाल गोयल,
उप शासन सचिव।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 2, 1979

संख्या एफ. 11(6) राजस्व (ग्रुप-6)/78.—वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) को कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या ए. 11014/3/72 एफ. आर. वाई. (डब्ल्यू. एल.) दिनांक 1 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन, राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों की भूमियों को, उनके पारिस्थितिक, प्राणिशास्त्रीय, वानस्पतिक, भू-आकृति सम्बन्धी, प्राकृतिक एवं अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करती है, जिसे अभिलेख में "सीता माता वन्य जीव अभयारण्य" के नाम से जाना जायेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा :—

अनुसूची

सीता माता वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं का विवरण

(केन्द्रीय भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 18-1)

उत्तरी सीमा रेखा :

(1) जब सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित जाखम-धरियावद (बांसी हाकर) मार्ग पर, जहां कि प्रस्तावित [illegible] (रक्षित) वनखण्ड का उत्तरी सीमांकन रेखा इसे काटती है, वहां से आरम्भ होकर "सीता माता वन्य जीव अभयारण्य" की उत्तरी सीमा इस सीमांकन रेखा के साथ साथ पूर्व दिशा में बढ़ती है, और [illegible] नदी के साथ दक्षिण को घूम कर [illegible] (आरक्षित) वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा से जा मिलती है।

(2) वहां से इस सीमांकन रेखा के साथ साथ पूर्व की ओर बढ़ते हुए, [illegible] धरियावद [illegible] मार्ग को पार करके आवली (आरक्षित) वनखण्ड की सीमा से जुड़ी नदी पर जा मिलती है।

(3) इस बिन्दु से, नदी को पार करके, आवली (आरक्षित) वनखण्ड की पश्चिमी सीमांकन रेखा के साथ साथ उत्तर को चलती है और इसी सीमांकन रेखा के साथ पूर्व को घूम कर लगभग आधा किलोमीटर चल, इसी के साथ दक्षिण को मुड़ जाती है और प्रस्तावित [illegible] (रक्षित) वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा से मिलकर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए कालाखेत (आरक्षित) वनखण्ड की पश्चिमी सीमांकन रेखा से जा मिलती है।

(4) कालाखेत (रक्षित) वनखण्ड, बूढ़ी माता (रक्षित) वनखण्ड, बोरावी (आरक्षित) वनखण्ड तथा प्रस्तावित गुल्लनपुर (रक्षित) वनखण्ड की पश्चिमी सीमांकन रेखा के साथ-साथ उत्तर दिशा में चलते चलते पूर्व को घूम कर वापस दक्षिण दिशा में गुल्लनपुर, बोरावी, बूढ़ी माता तथा कालाखेत (आरक्षित) वनखण्डों की पूर्वी सीमांकन रेखाओं के साथ साथ चल कर सीता माता (आरक्षित) वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा से मिल जाती है।

(5) सीतामाता (आरक्षित) वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा के साथ साथ पूर्व को बढ़ते हुए, आधा किलोमीटर आगे सतपुड़ा (आरक्षित) वनखण्ड की पश्चिमी सीमांकन रेखा से मिलकर उत्तर को बढ़ती है और वनखण्ड उत्तरी सिरे पर पहुंच कर U घुमाव, जो कि वनखण्ड सीमांकन मीनारा संख्या 192 है, उससे मिलती है।

पूर्वी सीमा रेखा :

(6) उपरोक्त मीनारा सं. 192 U घुमाव से, सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य की सीमा रेखा सतपुड़ा (आरक्षित) वनखण्ड की पूर्वी सीमांकन रेखा के साथ दक्षिण को चल कर [illegible] (आरक्षित) वनखण्ड की पूर्वी सीमांकन रेखा से मिलकर दक्षिण को चलती है और आगे जा [illegible] वाला (आरक्षित) वनखण्ड तथा उमरवाला (आरक्षित) वनखण्डों के संगम पर जाकर मिलती है।

(7) इस स्थल से, उमरवाला रेन्ज (आरक्षित) वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा के साथ साथ पूर्व को चल [illegible] के साथ दक्षिण में चलते हुए इस वन खण्ड [illegible] पुर वनखण्ड की मध्य रेखा के साथ चलकर [illegible] रेखा के अन्त पर पश्चिम को मुड़ कर [illegible] (आरक्षित) वनखण्ड की पूर्वी सीमांकन रेखा से मिलती है।

(8) वहां से दक्षिण को, इसी सीमांकन रेखा के साथ [illegible] कालाखेत से [illegible] जाने वाली सड़क, जो [illegible], [illegible], [illegible] से मिलकर, इसके साथ साथ दक्षिण [illegible]

से लगभग एक किलोमीटर दूर [illegible] (रक्षित) वनखण्ड की पूर्वी सीमांकन रेखा से मिलकर, इसके साथ साथ [illegible] (गोरोलाव) वनखण्ड की सीमांकन रेखा के साथ-साथ, चलकर, बांकापुर (आर. भिल) वनखण्ड की दक्षिणी सीमांकन रेखा से आयम नदी पर जा मिलती है।

(9) आयम नदी की धारा की दिशा में इसके साथ-साथ चलकर आयम-बरड संगम पर पहुंचकर बरड नदी की धारा के विपरीत इसके साथ साथ चलते हुए पलोदपुरा-[illegible] द्वारा बरड नदी पार किये जाने के स्थान पर मिलती है।

दक्षिणी सीमा रेखा :

(10) इस स्थान से [illegible] ग्राम और [illegible] की सीमा रेखा पश्चिम को मुड़कर, प्यासपुर (रक्षित) वन खण्ड की दक्षिणी सीमांकन रेखा के साथ साथ चलकर, पलोदपुरा-देवगढ़ मार्ग को पार करके दक्षिण को मुड़ जाती है और धरियावद-आसपुर रोड (सड़क) सड़क से मिल जाती है।

(11) धरियावद-आसपुर रोड मार्ग पर [illegible] दक्षिण-पश्चिम दिशा में [illegible] तालाब [illegible] के निकट, इसी मार्ग के साथ पश्चिम की तरफ मुड़कर उदयपुर जिले में [illegible] और [illegible] ग्राम से लगभग आधा किलोमीटर पूर्व में सड़क छोड़कर [illegible] (रक्षित) वनखण्ड की पश्चिमी सीमांकन रेखा के साथ साथ [illegible] को मुड़ जाती है।

(12) यहां से, [illegible] वनखण्ड, भाम्भा (रक्षित) वनखण्ड एवं प्रस्तावित [illegible] (रक्षित) वनखण्डों की सीमांकन रेखाओं के साथ साथ गुजरती हुई, उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हुए [illegible]-धरियावद [illegible] मार्ग से मिल जाता है।

पश्चिमी सीमा रेखा :

(13) इस स्थान से [illegible] माता [illegible] की सीमा रेखा [illegible] मार्ग के साथ उत्तर दिशा में चलती हुई [illegible] ग्राम के निकट वापस चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती हुई, अनुच्छेद-1 में बताए गये प्रारम्भ-बिन्दु पर आ मिलती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
[illegible],
शासन सचिव।

15A

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

<u>अधिसूचना</u>

क्रमांक एफ 11(9)राजस्व(ग्रुप-8)78 जयपुर, 1 जनवरी 1979
2

वन्य जीव(सुरक्षा)अधिनियम, 1972(1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53)को कि भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय(कृषि विभाग)की अधिसूचना संख्या प01.1014/3/72 एफ0आर0आई/डब्लू0एल0एफ0दिनांक 1 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन, राज्य सरकार, निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों की भूमियों को, उनके पारिस्थितिक, प्राणिजातीय, वानस्पतीय, भू-संरचना-संबंधी, नैसर्गिक एवं प्राणि-शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में ''सीता माता वन्य जीव अभयारण्य'' के नाम से जाना जायेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाए गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा :-

''अनुसूची''

सीता माता वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं का विवरण

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18-2)

उत्तरी सीमा रेखा

1- जन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित [illegible]पुर-धरियावद([illegible])मार्ग पर, जहां कि प्रस्तावित [illegible](रक्षित)वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा इसे काटती है, वहां से आरम्भ होकर ''सीता माता वन्य जीव अभयारण्य'' की उत्तरी सीमा इस सीमांकन रेखा के साथ 2 पूर्व दिशा में बढ़ती है और [illegible] नदी के साथ दक्षिण को घूम कर आगे वर्तमान [illegible](आरक्षित)वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा से जा मिलती है ।

2- यहां से इस सीमांकन रेखा के साथ 2 पूर्व की ओर बढ़ते हुए, देवलपुरा-धरियावद सड़क मार्ग को पार करके [illegible](आरक्षित) वनखण्ड की सीमा से भूडी नदी पर जा मिलती

3- इस बिन्दु से, नदी की [illegible], [illegible](आरक्षित)वनखण्ड की पश्चिमी सीमांकन रेखा के साथ 2 उत्तर की [illegible] है और इसी सीमांकन रेखा के साथ पूर्व को घूम कर लगभग आधा [illegible] के साथ दक्षिण को मुड़ जाती है और प्रस्तावित [illegible] (रक्षित)वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा से मिलकर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए [illegible] (आरक्षित)वनखण्ड की [illegible] सीमांकन रेखा से जा मिलती है ।

4- [illegible](रक्षित)वनखण्ड, [illegible](रक्षित)वनखण्ड, [illegible](आरक्षित)वनखण्ड तथा प्रस्तावित गुन्दलपुर(रक्षित)वनखण्ड की पश्चिमी सीमांकन रेखा के साथ 2 उत्तर दिशा में चलकर 2 पूर्व को घूम कर [illegible] दक्षिण दिशा में गुन्दलपुर, [illegible], दुधलीमाता तथा [illegible](आरक्षित)वनखण्डों की पूर्वी सीमांकन रेखाओं के साथ 2 चल कर सीता माता (आरक्षित)वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा से मिल जाती है ।

5- सीतामाता(आरक्षित)वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा के साथ 2 पूर्व को बढ़ते हुए, आधा [illegible] आगे सतपुरा(आरक्षित)वनखण्ड की पश्चिमी सीमांकन रेखा से मिलकर उत्तर को बढ़ती है और वनखण्ड के उत्तरी सिरे पर पहुंच कर [illegible] घुमाव, जो कि वनखण्ड के सीमांकन मीनारा संख्या 1 पर है, उससे मिलती है ।

क्र0प0उ0

पूर्वी सीमा रेखा

6- उपरोक्त मीनारा नं0 1 पर (घुमाव) से, ''सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य'' की रेखा सतपुड़ा(आरक्षित)वनखण्ड की पूर्वी सीमांकन रेखा के साथ दक्षिण को चलकर, खटेर-भटियानी (आरक्षित)वनखण्ड की पूर्वी सीमांकन रेखा से मिलकर दक्षिण को चलती है और आगे जाकर मण्डोताला(आरक्षित)वनखण्ड तथा उमरवाला रेला(आरक्षित) वनखण्डों के संगम पर जाकर मिलती है ।

7- इस संगम से, उमरवाला रेला(आरक्षित)वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा के साथ 2 पूर्व को चलकर, इसी के साथ दक्षिण में घूमते हुए इस वन खण्ड एवं [illegible] वनखण्ड की मध्य-रेखा के साथ चलकर, मध्य-रेखा के अन्त पर पश्चिम को मुड़कर मण्डोताला (आरक्षित)वनखण्ड की पूर्वी सीमांकन रेखा से जा मिलती है ।

8- यहां से दक्षिण को, इसी सीमांकन रेखा के साथ चलकर, नालखेत से सालेपीपली जाने वाली गडार, जो कि [illegible], मिल्लीखेड़ा, गढ़वेला आदि होकर जाती है, से मिलकर, इसके साथ 2 दक्षिण की ओर, मिल्लीखेड़ा से लगभग एक किलोमीटर दूर सालेपीपली(रक्षित) वनखण्ड की पूर्वी सीमांकन रेखा से मिलकर इसके साथ 2 और फिर भैंसा(आरक्षित) वनखण्ड की सीमांकन रेखा के साथ 2 चलकर, बांसखेड़(आरक्षित)वनखण्ड की उत्तरी सीमांकन रेखा से जाखम नदी पर जा मिलती है ।

9- जाखम नदी की धारा की दिशा में इसके साथ 2 चलकर, जाखम-खारह संगम पर होकर खारह नदी की धारा के विपरीत इसके साथ 2 चलते हुए अनोपपुरा-नकोर गडार द्वारा खारह नदी पार किये जाने के स्थान पर मिलती है ।

दक्षिणी सीमा रेखा

10- इस स्थान से ''सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य'' की सीमा रेखा पश्चिम को मुड़कर, ग्यासपुर(रक्षित)वनखण्ड की दक्षिणी सीमांकन रेखा के साथ 2 चलकर, अनोपपुरा-देवगढ़ मार्ग को पार करके दक्षिण को मुड़ जाती है और धरियावद-जाखम बांध(पक्की)सड़क से मिल जाती है ।

11- धरियावद-जाखमबांध मार्ग के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते 2 फूंगा तालाब ग्राम के निकट, इसी मार्ग के साथ दक्षिण की तरफ घूमकर उदयपुर जिले में निकल जाती है और केलदा ग्राम के [illegible] किलोमीटर पूर्व में सड़क छोड़कर छोटेली(रक्षित) वनखण्ड की पश्चिमी सीमांकन रेखा के साथ 2 उत्तर को मुड़ जाती है ।

12- यहां से, [illegible] वनखण्ड, [illegible](रक्षित)वनखण्ड एवं प्रस्तावित डांग्या खेड़ा(रक्षित) वनखण्डों की सीमांकन रेखाओं के साथ 2 घुमाव लेती हुई, उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा में चलते 2 [illegible]-धरियावद, [illegible] होकर, जाने वाले मार्ग से मिल जाती है ।

पश्चिमी सीमा रेखा

13- इसी स्थान से, ''सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य'' की सीमा रेखा, उदयपुर-धरियावद मार्ग के साथ उत्तर दिशा में चलती हुई, [illegible] ग्राम के निकट वापस चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती हुई, [illegible] अनुच्छेद-1 में वर्णित आरम्भ-बिन्दु पर जा मिलती है ।

राज्यपाल के आदेश से

([illegible])

शासन सचिव

कृ0प0उ0 3